

भारत गणराज्य की सरकार
तथा
कोलम्बिया गणराज्य की सरकार
के बीच वर्ष 2002, 2003 तथा 2004 के लिए
सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक आदान-प्रदान कार्यक्रम

भारत गणराज्य की सरकार तथा कोलम्बिया गणराज्य की सरकार के बीच 22 मई, 1974 को बगौटा में हस्ताक्षरित सांस्कृतिक करार के अनुच्छेद-X के अनुसरण में भारत तथा कोलम्बिया की संयुक्त सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक समिति की पहली बैठक 4-6 मई, 2002 को नई दिल्ली में आयोजित की गई ताकि संस्कृति, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में सहयोग की कार्य योजना तैयार की जा सके।

संयुक्त भारत-कोलम्बिया सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक समिति के कार्यकारी सत्र में भारत गणराज्य की सरकार तथा कोलम्बिया गणराज्य की सरकार जिन्हें यहां इसके पश्चात 'पक्षकार' कहा जाएगा, के बीच सहयोग के प्रस्तावों तथा नीतियों पर विचार किया गया ताकि आगामी तीन वर्षों में उन्हें कार्यान्वित किया जा सके तथा ऐसा सहयोग करने और वर्ष 2002, 2003 और 2004 के लिए सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान-प्रदान कार्यक्रम तैयार करने के लिए निम्नलिखित विशेष परियोजनाओं की सिफारिश की गई।

अनुच्छेद 1

दोनों देशों में जागरूकता का सृजन करने के उद्देश्य से अन्य पक्षकार के क्षेत्र में सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक कार्यक्रमों के दिवस का आयोजन करके दोनों पक्षकारों ने 'कोलम्बिया डेज इन इंडिया' तथा 'इंडियन डेज इन कोलम्बिया' मनाना सहर्ष स्वीकार कर लिया है।

अनुच्छेद 2

दोनों पक्षकार संगोष्ठियों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए कला तथा संस्कृति के क्षेत्र में विशेषज्ञों/विद्वानों का आदान-प्रदान करेंगे। इस प्रकार के दौरों के ब्यौरे राजनयिक माध्यमों से निश्चित किए जाएंगे।

प्रदर्शन कलाएं

अनुच्छेद 3

वर्तमान कार्यक्रम की वैधता के दौरान दोनों पक्षकार एक दूसरे के देश में प्रतिवर्ष एक सांस्कृतिक प्रदर्शनी आयोजित करने के प्रस्ताव के साथ एक-दूसरे की सहायता करेंगे जिसमें प्लास्टिक कलाओं के क्षेत्र में हुए विकास को प्रदर्शित किया जायेगा।

- ✽ इस संदर्भ में "लुईस ऐंजल अरंगो" पुस्तकालय भारतीय आधुनिक तथा समसामयिक कला प्रदर्शनी प्रस्तुत करने में रुचि व्यक्त करता है।
- ✽ इसी प्रकार, कोलम्बिया के राष्ट्रीय संग्रहालय ने भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय से एक पुरातत्व प्रदर्शनी कोलम्बिया में प्राप्त और प्रस्तुत करने की इच्छा व्यक्त की है।
- ✽ संकलनों का अध्ययन करने के लिए एक माह की अवधि के लिए संग्रहालय विशेषज्ञों का आदान-प्रदान।
- ✽ 2/3 मानक कला प्रकाशनों तथा कला के 20/25 पुनरुत्पादनों का आदान-प्रदान।

साहित्य, प्रकाशन तथा पुस्तकालय

अनुच्छेद 4

दोनों पक्षकार अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेलों में लेखकों तथा प्रकाशन गृहों की भागीदारी को बढ़ावा देंगे। इन मेलों में निम्नलिखित मेले भी शामिल हैं :-

- ✽ कोलकाता [कलकत्ता] का अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला।
- ✽ दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला।
- ✽ बगोटा का अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला।

अनुच्छेद 5

दोनों पक्षकार साहित्यिक सामग्री के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करेंगे ताकि स्पेन की भाषा में अनूदित भारतीय साहित्य के संग्रह तथा हिन्दी भाषा में अनूदित कोलम्बिया के साहित्य के इसी प्रकार के संग्रह के प्रकाशन को बढ़ावा दिया जा सके।

अनुच्छेद 6

दोनों पक्षकार दोनों देशों के पुस्तकालयों को समृद्ध बनाने के लिए कला तथा विरासत के संरक्षण के विशिष्ट प्रकाशनों के संबंध में दो से तीन कला प्रकाशनों का आदान-प्रदान करेंगे।

- ✽ "लुईस ऐंजल अरंगो" पुस्तकालय भारत की विभिन्न संस्थाओं के साथ प्रकाशनों के आदान-प्रदान में वृद्धि करने के लिए अपनी रुचि प्रकट करता है।
- ✽ राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता, पारस्परिक रुचि की माइक्रोफिल्मों समेत पठन सामग्री का कोलम्बिया के पुस्तकालयों तथा संस्थाओं के साथ आदान-प्रदान करेगा।
- ✽ राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा कोलम्बिया के संस्थानों/संग्रहालयों को प्रकाशन तथा पुनरुत्पादन भेजेगा तथा इनके बदले में कोलम्बिया के समसामयिक प्रकाशन तथा पुनरुत्पादन प्राप्त करना चाहेगा बशर्ते कि वे अंग्रेजी में हों।

अनुच्छेद 7

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलम्बिया भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के साथ संक्षिप्त पाठ्यक्रमों के कार्यक्रम शुरू करना चाहता है। ताकि दोनों संस्थाओं के बीच अनुभव और कार्यविधियों के आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया जा सके।

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलम्बिया की विशेष अभिरुचि का एक अन्य पहलू वह सहयोग है जिसे भारत सरकार कोलम्बिया के लोगों द्वारा अथवा कोलम्बिया पर रचित साहित्य, जिसे भारत में प्राप्त किया जा सके तथा जो देश की ग्रंथसूची विरासत का एक भाग हो, का पता लगाने तथा प्राप्त करने में प्रदान कर सकती है।

अनुच्छेद 8

दोनों पक्षकार भारत तथा कोलम्बिया के बीच समाज विज्ञानों में सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक समाज वैज्ञानिक का आदान-प्रदान करेंगे।

इस संबंध में कोलम्बिया के संस्कृति मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि सांस्कृतिक अध्ययन तथा "बुनियादी शिक्षा में विरासत मूल्यों" में अनुभवों का आदान-प्रदान संस्कृति के क्षेत्र में पारस्परिक रुचि का विषय हो सकता है।

संगीत

अनुच्छेद 9

दोनों पक्षकार नृत्य, संगीत तथा लोक रंगमंच के क्षेत्र में प्रतिवर्ष 7-10 दिनों की अवधि के लिए 10-15 सदस्यों के एक दल का आदान-प्रदान करेंगे। इस प्रकार के दौरों की तारीखें राजनयिक माध्यमों से परस्पर सहमति से निश्चित की जा सकती हैं।

दोनों पक्षकार दोनों पक्षकारों द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव में भाग लेंगे।

फिल्में

अनुच्छेद 10

दोनों पक्षकारों ने भारत के सिनेमा उद्योग के विकास को मान्यता प्रदान की है तथा वे फिल्मों के प्रदर्शन तथा सिनेमा कलाकारों एवं महत्वपूर्ण निर्देशकों की भागीदारी को कोलकाता, मुंबई, बगोटा तथा कारवाजेना जैसे महोत्सवों में बढ़ावा देंगे जिनका उद्देश्य चलचित्र कला के क्षेत्र में अनुभवों का आदान-प्रदान करना है।

चलचित्रदर्शी निदेशालय, संस्कृति मंत्रालय, कोलम्बिया ने भारत द्वारा वर्तमान समय में फिल्मों के क्षेत्र में की गई प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की है तथा वह भारत के फिल्म महोत्सव संगठन के साथ संबंध स्थापित करना चाहता है ताकि विषयों, प्रकाशनों, फिल्मों तथा सिनेमा से संबंधित सामग्री का आदान-प्रदान किया जा सके।

अनुच्छेद-11

दोनों पक्षकार एक-दूसरे के देश में 2-3 सदस्यों के शिष्टमंडल के साथ फिल्म सप्ताह आयोजित करने संबंधी प्रयास करेंगे।

अनुच्छेद-12

दोनों पक्षकार एक-दूसरे के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में फिल्में तथा शिष्टमंडल भेजकर भाग लेने के प्रयास करेंगे।

हस्तशिल्प

अनुच्छेद 13

भारतीय पक्षकार लगभग दो सप्ताह की अवधि के लिए कोलम्बिया में एक हस्तशिल्प प्रदर्शनी तथा बिक्री का आयोजन करेगा। इस प्रदर्शनी के दौरान 3-4 शिल्पकार विभिन्न हस्तशिल्पों को बनाने के कौशल का प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शनी तथा बिक्री का आयोजन हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद के सहयोग से आयोजित किया जाएगा।

1. शिक्षा

अनुच्छेद 14

दोनों पक्षकार विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक सामग्री जिसमें पाठ्य पुस्तकें तथा दृश्य श्रव्य सामग्री भी शामिल है, का आदान-प्रदान करेंगे।

कोलम्बिया के मामले में, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रालय भारतीय पक्ष को महत्वपूर्ण अनुभवों के पोर्टफोलियो सौपेगा जिसमें अन्य कार्यक्रमों के साथ 'नए स्कूल', 'प्रजातंत्र के लिए अवसंरचना', 'क्लासरूम पैक्ट' 'शान्ति स्थापना,' 'ग्रामीण शिक्षा' तथा "पांच वर्ष से कम आयु के बधिर बच्चों के समग्र ध्यान हेतु द्विभाषी मॉडल" कार्यक्रम निर्दिष्ट किए गए हैं।

अनुच्छेद 15

दोनों पक्ष 2-3 शिक्षाविदों के एक शिष्टमंडल का आदान-प्रदान करेंगे ताकि शिक्षा प्रणाली की जानकारी प्राप्त की जा सके तथा दोनों देशों की संस्थाओं के बीच द्विपक्षीय सहयोग के ऐसे क्षेत्रों का पता लगाने के लिए सम्पर्क स्थापित किये जा सकें।

अनुच्छेद 16

दोनों पक्ष क्षेत्र स्तर पर वयस्क शिक्षा कार्यक्रम के नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन में लगे दो व्यक्तियों का 2 सप्ताह की अवधि हेतु आदान-प्रदान करेंगे, जिसमें सामग्री निर्माण तथा प्रशिक्षण का कार्य भी शामिल है ताकि वयस्क शिक्षा कार्यक्रम/व्यावसायिक प्रशिक्षण का अध्ययन किया जा सके।

अनुच्छेद 17

दोनों पक्षकार स्कूली शिक्षा के पर्यावरणीय अभिविन्यास के क्षेत्र में पाठ्य-पुस्तकों तथा श्रव्य-दृश्य सहायक सामग्री सहित शैक्षिक सामग्री का आदान-प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद 18

दोनों पक्षकार दोनों देशों के विशेषज्ञ संस्थानों/विश्वविद्यालयों के बीच हिस्पानी भाषा अध्ययनों के प्रोफेसरों का आदान-प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद 19

दोनों पक्षकार एक दूसरे के देश में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों तथा सम्मेलनों में 3-4 शिक्षाविदों की भागीदारी की व्यवस्था करेंगे और सम्मेलनों के बाद अन्य संस्थानों में जाने के लिए उन्हें सुविधाएं भी प्रदान करेंगे। इस पहल को साकार रूप देने के लिए आइसटेक्स अपने ऐसे "आमंत्रित प्रोफेसरों के कार्यक्रम" की पेशकश करता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा किराया या वृत्तिका देकर अल्पकालिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कोलम्बिया विश्वविद्यालयों, शिक्षण केन्द्रों तथा अनुसंधान केंद्रों द्वारा आमंत्रित भारतीय शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों तथा विशेषज्ञों के दौरों में सहायता करना शामिल है।

अनुच्छेद 20

दोनों पक्षकार इस कार्यक्रम की अवधि के दौरान परस्पर हित के क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष दो स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियों का आदान-प्रदान करेंगे। इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाले निकाय हैं : कोलम्बिया की ओर से आइसटेक्स तथा भारत की ओर से शिक्षा मंत्रालय जो कोलम्बिया की यात्रा करने वाले भारतीय विद्यार्थियों का ध्यान रखेगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आई सी सी आर) कोलम्बिया के भारतीय छात्रवृत्ति धारकों से संबंधित कार्य करेगी।

अनुच्छेद 21

दोनों पक्षकार विश्वविद्यालयों/उच्च शैक्षिक संस्थानों द्वारा दी जाने वाली उपाधियों तथा प्रमाणपत्रों की जांच करने तथा मान्यता देने के उद्देश्य से अपने-अपने देश के शैक्षिक ढांचे तथा प्रणाली पर प्रलेखन का आदान-प्रदान करेंगे।

3. खेल एवं युवा मामले

अनुच्छेद 22

दोनों पक्षकार खेलों के क्षेत्र में अनुभव का आदान-प्रदान करेंगे और विभिन्न खेलों में टीमों/प्रशिक्षकों तथा खेल प्रशासकों के आदान-प्रदान की संभावनाओं का पता लगाएंगे। इसके ब्यौरे परस्पर परामर्श से निश्चित किए जाएंगे।

अनुच्छेद 23

पक्षकार दोनों देशों के युवा संगठनों तथा संस्थाओं के बीच आदान-प्रदान के जरिए सहयोग को बढ़ावा देंगे और दोनों देशों के युवाओं के लाभार्थ सांस्कृतिक कार्यकलापों का विकास करेंगे।

अन्य प्रावधान

अनुच्छेद 24

दोनों पक्षकार सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के प्रावधानों की प्रगति तथा कार्यान्वयन की वार्षिक समीक्षा करेंगे। ये समीक्षाएं, दूतावास के प्रतिनिधि तथा 'नोडल' मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि वाले कार्य दलों द्वारा की जाएंगी।

अनुच्छेद 25

सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के साथ संलग्न सामान्य तथा वित्तीय शर्तें, इस कार्यक्रम का अभिन्न अंग होंगी।

अनुच्छेद 26

वर्तमान कार्यक्रम से संस्कृति, शिक्षा, खेल तथा युवा मामलों के क्षेत्रों में अन्य कार्यकलापों तथा आदान-प्रदानों के आयोजन की संभावना समाप्त नहीं हो जाती है जिनकी इस कार्यक्रम में परिकल्पना न की गई हो।

अनुच्छेद 27

दोनों में से कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार को लिखित रूप में सूचित करके इस करार को पूर्णरूप से या आंशिक रूप से निरस्त कर सकता है। निरस्त होने की कार्रवाई इस आशय की सूचना देने के छह माह के बाद से प्रवृत्त होगी।

अनुच्छेद 28

यह कार्यक्रम 31 दिसम्बर, 2004 तक वैध रहेगा। इस तारीख के बाद यह कार्यक्रम तब तक अस्थायी रूप से लागू रहेगा जब तक कि नए कार्यक्रम पर हस्ताक्षर नहीं हो जाते।

नई दिल्ली में आज दिनांक 16 वैसाख 1924 [शक] तदनुरूपी दिनांक 6 मई 2002 [ई.] को तीन प्रतियों में, हिन्दी, स्पेनिश तथा अंग्रेजी में, हस्ताक्षर किए गए, जिसके सभी पाठ समान रूप से प्रमाणित हैं। तथापि, संदेह की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से



(विवेक रे)

संयुक्त सचिव

संस्कृति विभाग

पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय

कोलम्बिया गणराज्य की
सरकार की ओर से



(डा० एडुआर्डो सेरानो)

महानिदेशक, सांस्कृतिक कार्य

विदेश मंत्रालय

अनुबंध-1

वर्ष 2002-2004 के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा कोलम्बिया गणराज्य की सरकार के बीच सांस्कृतिक तथा शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत आदान-प्रदान को विनियमित करने वाली सामान्य तथा वित्तीय शर्तें।

I. व्यक्तियों का आदान-प्रदान

i) सामान्य शर्तें

1. प्रेषक पक्षकार मेजबान पक्षकार को राजनयिक माध्यम से दो माह पूर्व निम्नलिखित की जानकारी देगा :
 - क) संबंधित व्यक्तियों के नाम, जीवन-वृत्त तथा विदेशी भाषाओं का ज्ञान।
 - ख) प्रस्तावित दौरे का कार्यक्रम
 - ग) प्रस्तावित दौरे की तिथि तथा अवधि
2. मेजबान पक्षकार व्यक्ति के आगमन की निर्धारित तारीख से 6 सप्ताह पूर्व, दौरे के अंतिम अनुमोदन की पुष्टि करेगा।
3. प्रेषक पक्षकार व्यक्ति के आगमन से कम से कम 15 दिन पहले मेजबान पक्षकार को आगमन की निश्चित तिथि तथा परिवहन माध्यम की सूचना देगा।
4. इसके अलावा, इस कार्यक्रम के तहत जिन व्यक्तियों का आदान-प्रदान होगा, उन्हें मेजबान पक्षकार की भाषा या अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए।

ii. वित्तीय शर्तें

1. प्रेषक पक्षकार अपने लोगों की मेजबान देश की राजधानी तक की यात्रा तथा वापसी यात्रा पर होने वाले खर्च को वहन करेगा।
2. मेजबान पक्षकार दौरे के सहमत कार्यक्रम के अनुसार अपने देश में द्हरने, खाने तथा आंतरिक परिवहन की लागत को वहन करेगा।

3. आकस्मिक बीमारी अथवा दुर्घटना के मामले में मेजबान पक्षकार इस कार्यक्रम के अंतर्गत पहुंचने वाले सभी व्यक्तियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में निःशुल्क चिकित्सा देखभाल उपलब्ध करायेगा।

II. छात्रवृत्तियां :

i.) सामान्य शर्तें

1. प्रत्येक पक्षकार दूसरे पक्षकार को प्रत्येक वर्ष और समय पर छात्रवृत्तियां प्रदान करने की जानकारी देगा जिसमें सामान्य विशेषताएं, अपेक्षित मांगें, परिकल्पित मूल्य और आवेदन की अंतिम तारीख, उम्मीदवारों के चयन तथा कार्यक्रम शुरू होने की तारीख शामिल होंगी।
2. उम्मीदवारों के पंजीकरण फार्म या दस्तावेजों के फोल्डर में निम्नलिखित अवश्य शामिल होने चाहिए :

- जीवन-वृत्त
- डिप्लोमा या उपाधियों (प्रमाणपत्रों) के विधिवत भरे आवेदन पत्र की पांच प्रतिलिपियां
- अध्ययनों या जांच का कार्यक्रम
- चिकित्सा प्रमाणपत्र (या स्वास्थ्य प्रमाणपत्र)
- छात्रवृत्ति धारकों को भारत में अध्ययन हेतु अंग्रेजी तथा कोलम्बिया में अध्ययन हेतु स्पेनिश/अंग्रेजी भाषा का कार्यसाधक ज्ञान होना आवश्यक है।

ii. वित्तीय शर्तें

1. छात्रवृत्ति धारक दो देशों की राजधानियों में राउंड ट्रिप को स्वयं वहन करेंगे।
2. कोलम्बियाई पक्षकार निम्नलिखित का प्रस्ताव करता है :-
 - संस्थापना पर 197,000 कोलम्बियाई पेसोज तक का खर्च (केवल एक बार)
 - पंजीकरण तथा शैक्षणिक शुल्क (इन लागतों की पूर्ण कवरेज)
 - पुस्तकें तथा अध्ययन सामग्री, 197,000 पेसोज तक (केवल एक बार)
 - आवास तथा भोजन व्यवस्था, 160,000 पेसोज की मासिक राशि।
 - शोध-प्रबंध पर 197,000 पेसोज तक का व्यय, केवल एक बार, उन कार्यक्रमों के लिए, जिनको इसकी आवश्यकता हो।
 - चिकित्सा बीमा (चिकित्सा तथा अस्पताल संबंधी सहायता), 60,000 पेसोज का मासिक भुगतान।

- ✎ औचित्यपूर्ण अप्रत्याशित प्रत्याशित घटनाओं के लिए व्यय, 98,000 पैसेज तक (केवल एक बार)
- ✎ देश छोड़ने के लिए कर, 78,000 पैसेज तक (केवल एक बार)

3. भारतीय पक्षकार निम्नलिखित का प्रस्ताव करता है :

शुल्क : शिक्षा, पंजीकरण/नामांकन का पूरा शुल्क।

आवास :- विश्वविद्यालय/संस्था के विद्यार्थी छात्रावास में आवास। यदि ऐसा आवास उपलब्ध न हो, तो विद्यार्थी को निम्नलिखित दरों पर मकान किराया भत्ता प्रदान किया जाएगा :-

- ✎ दिल्ली, कोलकाता (कलकत्ता), मुंबई (बंबई), चेन्नै (मद्रास) तथा बेंगलूर के लिए 2,000/- रु. प्रति माह।
- ✎ अन्य शहरों के लिए 1,500रु. प्रति माह।

वृत्तिका : वृत्तिका निम्नलिखित दरों पर दी जाएगी :-

- ✎ पूर्व-स्नातक/स्नातकोत्तर के लिए 3,000/-रु. प्रतिमाह।
- ✎ एम. फिल/पी.एच.डी./एम. टेक/एम ई के लिए 4,000/- रु. प्रतिमाह।
- ✎ पोस्ट-डॉक्टोरल अनुसंधान के लिए 4,500/- रु. प्रतिमाह।

आनुषंगिक आकस्मिक अनुदान :-

- ✎ पूर्व-स्नातक के लिए 3,000/- रु. प्रति वर्ष
- ✎ स्नातकोत्तर के लिए 4,500/-रु. प्रति वर्ष
- ✎ मानविकी में एम.फिल / पी.एच.डी. के लिए 7,500/-रु. प्रति वर्ष
- ✎ विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एम.फिल / पी. एच. डी. के लिए 10,000/-रु. प्रति वर्ष
- ✎ मानविकी में पोस्ट-डॉक्टोरल अनुसंधान के लिए 10,000/-रु. प्रति वर्ष
- ✎ विज्ञान/प्रौद्योगिकी में पोस्ट-डॉक्टोरल अनुसंधान के लिए 12,000/-रु. प्रति वर्ष
- ✎ कम अवधि के निवास के लिए [6 माह से कम] अनुदान को घटा कर 50 प्रतिशत कर दिया जाएगा।

चिकित्सा सहायता :-

विद्यार्थी द्वारा उसके संस्थान से संबद्ध चिकित्सा केंद्रों/डिस्पेंसरियों में उपचार के लिए किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

घरेलू यात्रा :-

विद्यार्थी को भारत में उसकी यात्रा पर, पूरी तरह से उसके आवास के संबंध में किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

III. प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान :

i) सामान्य शर्तें

प्रेषक देश मेजबान देश को तैयार की जाने वाली प्रदर्शनी की तारीखों और विषय के संबंध में कम से कम 12 महीने पूर्व सूचित करेगा। प्रदर्शनी के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करने के लिए प्रेषक राज्य प्रदर्शनी के आरंभ होने के कम से कम तीन {3} माह पूर्व प्रदर्शनी के बारे में आधारभूत तकनीकी जानकारी तथा कैटेलॉगों की छपाई के लिए आवश्यक सामग्री [प्रस्ताव, कार्यों की सूची, फोटोग्राफ, पाठ तथा अन्य ब्यौरे] उपलब्ध कराएगा। प्रदर्शित की जाने वाली वस्तुएं प्रदर्शनी के आरंभ होने के कम से कम 15 दिन पहले गन्तव्य स्थान पर पहुंच जाएंगी।

ii) वित्तीय शर्तें

जब तक संबंधित संस्थाओं के बीच अन्यथा सहमति न हो, प्रदर्शनियों के आदान-प्रदान में हो रहे खर्च का वहन निम्नानुसार किया जाएगा :

1. प्रेषक पक्षकार मेजबान देश में प्रदर्शनी के प्रथम स्थान तक प्रदर्शनी को ले जाने तथा इसे वापस लाने के खर्च को वहन करेगा। भारत के मामले में प्रदर्शनी का पहला और अंतिम स्थान नई दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में से एक होगा।
2. मेजबान पक्षकार प्रदर्शनी के आयोजन, इसकी सुरक्षा और प्रचार/विज्ञापन, कैटेलॉगों को छापने, पोस्टरों इत्यादि की लागत का वहन करेगा।

3. प्रेषक पक्षकार प्रदर्शनी के सभी बीमा खर्चों को वहन करेगा, जबकि यह इसके राष्ट्रीय क्षेत्र से बाहर हो।

प्रदर्शों के गुम होने अथवा क्षतिग्रस्त होने के मामले में बीमा कंपनी से दावा प्राप्त करने के लिए मेजबान पक्षकार प्रेषक पक्ष को मामले से संबंधित सभी दस्तावेज देगा

प्रेषक पक्षकार के पूर्व अनुमोदन के बिना क्षतिग्रस्त प्रदर्शों की मरम्मत नहीं की जा सकती है।

4. प्रेषक पक्षकार प्रदर्शनी की वापसी यात्रा के पैकिंग व्ययों को वहन करेगा।
5. प्रेषक तथा मेजबान संस्थाओं के बीच प्रत्येक प्रदर्शनी के लिए एक पृथक करार पर हस्ताक्षर किये जाएंगे, जिसमें ये व्यवस्थाएँ शामिल होंगी।
6. प्रदर्शनी के साथ एक विशेषज्ञ/ संग्रहाध्यक्ष जा सकता है। विशेषज्ञ / संग्रहाध्यक्ष की यात्रा तथा निवास का खर्च दो पक्षों द्वारा सहमति प्राप्त सामान्य तथा वित्तीय शर्तों के अनुसार वहन किया जाएगा।

IV. पत्र-पत्रिकाओं तथा प्रकाशनों का आदान-प्रदान

प्रकाशनों, पत्र-पत्रिकाओं तथा अन्य सामग्रियों के आदान-प्रदान का सारा खर्च प्रेषक संस्था द्वारा वहन किया जाएगा, जैसीकि इस कार्यक्रम में परिलपना की गई है।

**PROGRAMME OF CULTURAL AND EDUCATIONAL EXCHANGES
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF COLOMBIA
FOR THE YEARS 2002, 2003 and 2004.**

In accordance with Article X of the Cultural Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Colombia, signed in Bogota on the 22nd May 1974, the first meeting of the Joint Cultural and Educational Committee between India and Colombia, was held in New Delhi on May 4-6, 2002 with a view to draw upon a plan of action of co-operation in the fields of culture, education and sports.

The working sessions of the Joint India-Colombia Cultural and Educational Committee considered proposals and strategies of co-operation between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Colombia, hereinafter referred as "The Parties", for implementation during the next three years and recommended the following specific projects for effecting such collaboration and formulating a Programme for Cultural and Educational Exchanges for the years 2002, 2003 and 2004:

1. CULTURE

Article 1

The Parties acknowledge with pleasure to celebrate the 'Colombia Days in India' and the 'Indian Days in Colombia' by holding a day of cultural and educational programmes in the territory of the other Party with the object of creating awareness in both countries.

Article 2

Both Parties will exchange three experts / scholars in the field of art and culture to participate in seminars / conferences / workshops. Details of such visits will be decided through diplomatic channels.

VISUAL ARTS

Article 3

The Parties shall support each other with the proposal of carrying out annually, within the validity of the present Programme, a cultural exhibition in the territory of the other Party, reflecting the developments reached in the field of plastic arts.

- In this context, the 'Luis Angel Arango' Library expresses its interest in presenting an exhibition of Indian Modern and contemporary art.

- Likewise, the National Museum of Colombia expresses its willingness to receive and present in Colombia an archaeological exhibition from the National Museum of India.
- Exchange of Museum Experts for the study of collections for a period of one month.
- Exchange of 2 / 3 standard art publications and 20 / 25 reproductions of art.

LITERATURE, PUBLICATIONS AND LIBRARIES

Article 4

The Parties shall promote the participation of writers and publishing houses in the International Book Fairs, amongst which we have:

- The International Book Fair of Kolkata (Calcutta).
- The World Book Fair in Delhi.
- The International Book Fair of Bogota.

Article 5

The Parties shall facilitate exchange of literary material in order to encourage the publication of an anthology of Indian literature translated into Spanish and a similar compilation of Colombian literature translated into Hindi.

Article 6

The Parties shall exchange two to three Art publications for enriching the libraries of the two countries with exceptional publications on art and conservation of heritage.

- The 'Luis Angel Arango' Library manifests its interest in increasing the exchange of publications with different institutions of India.
- National Library, Calcutta, will exchange reading materials including microfilms of mutual interest with the libraries and institutions in Colombia.
- National Gallery of Modern Art would send the publications and reproductions to the institutes / museums in Colombia and in exchange would like to receive their publications and reproductions on Contemporary Colombian Art provided the publications are in English.

Article 7

The National Library of Colombia is interested in establishing a programme of short courses with the National Library of India for encouraging the exchange of experiences and methodologies between the two institutions.

Another aspect of special interest for the National Library of Colombia is the co-operation which the Government of India can extend in identifying and recovering works written by Colombians or on Colombia, which may be found in India and that form part of the country's bibliographic legacy.

Article 8

The Parties shall exchange a social scientist with the object of exploring possibilities of co-operation in the social sciences between India and Colombia.

In regard to this point, the Ministry of Culture of Colombia suggests that a theme of mutual interest in the culture area could be cultural studies and exchange of experiences in "The Heritage Values in Basic Education".

MUSIC

Article 9

Both Parties will exchange a group of 10-15 members in the field of dance, music and folk theatre for a period of 7-10 days annually. The dates of such visits could be mutually agreed through diplomatic channels.

Both Parties will participate in international theatre festivals organised by the two Parties.

FILMS

Article 10

The parties recognise the development of India's cinema industry, and as such, shall promote the projection of films and the participation of cine actors and important directors, in festivals such as of Calcutta, Bombay Bogota and Cartagena aimed at sharing experiences in the cinematographic field.

The Directorate of Cinematography of the Ministry of Culture, Colombia expresses its interest in knowing the progress which India presently has been making in the field of films and desires to establish contacts with the Organisation of Cine Festivals of India for initiating an exchange of texts, publications, films and cine material.

Article 11

Both Parties will strive to organise film weeks in each other's country with a delegation of 2-3 members attending.

Article 12

Both Parties shall endeavour to participate in each other's international film festivals by sending films and delegation.

HANDICRAFTS

Article 13

The Indian Party will organise a Handicrafts Exhibition-cum-Sale in Colombia for a period of about 2 weeks. During the Exhibition 3-4 crafts persons will demonstrate their skills of making different handicrafts. The Exhibition-cum-Sale will be arranged in collaboration with Export Promotion Council for Handicrafts (DCH).

2. EDUCATION

Article 14

Both Parties will exchange educational material including text books and audio-visual material in the area of school education.

In the Colombian case, the Ministry of National Education places at the disposal of the Indian side the Portfolio of Significant Experiences wherein are registered among other programmes; "New School", "Formation for Democracy", "Classroom Pacts", "Make Peace", "Rural Education" and "Bilingual Model for Integral Attention to Deaf Children under 5 years".

Article 15

Both Parties will exchange a delegation of 2-3 academics in order to get acquainted with educational system and to establish contacts to identify areas of bilateral cooperation between the institutions of the two countries.

Article 16

Both Parties will exchange visit of two persons engaged in policy making and implementation of the Adult Education Programme at field level, including the work of material production and training, for a period of 2 weeks, to study the Adult Education Programme / vocational training.

Article 17

Both Parties will exchange educational material including text books and audio-visual aids in the area of environmental orientation to school education.

Article 18

Both Parties will exchange Professors of Hispanic Studies between specialised institutions / universities of both countries.

Article 19

Both Parties shall facilitate participation of 3-4 academics in international seminars and conferences that are held in each other's country and would also provide them facilities for visiting other institutions after the conferences. With the intention of shaping up this initiative the ICETEX offers its "Programme of Invited Professors", which consists of supporting the visit of Indian academicians, scientists and experts invited by Colombian universities, teaching centres and research centres for attending events of short duration, by granting international air tickets or stipends.

Article 20

The Parties shall annually exchange two (2) post-graduate scholarships in areas of mutual interest during the period of this programme. The implementing entities of this activity are: from the Colombian side, the ICETEX and from the Indian side, the Ministry of Education which will take care of the Indian students travelling to Colombia. The Indian Council for Cultural Relations – ICCR – will deal with the Colombian holders of Indian scholarships.

Article 21

Both the parties shall exchange documentation on the educational structure and system of their countries with a view to examine and recognize degrees and certificates awarded by the universities /higher educational institutions.

3. SPORTS AND YOUTH AFFAIRS

Article 22

Both Parties will share experience in the field of Sports and explore possibilities of exchanging Sports teams / Coaches and Sports Administrators in diverse disciplines, the details thereof will be decided through mutual consultations.

Article 23

The Parties shall promote co-operation through exchange between youth organizations and institutions of the two countries and shall develop cultural activities to the benefit of the youth of both the countries.

OTHER PROVISIONS

Article 24

The Parties shall carry out annual reviews of the progress and implementation of the provisions of the Programme of Cultural Exchange. The reviews shall be carried out by working groups comprising a representative of the embassy and a representative of the "nodal" Ministries / Departments.

Article 25

The General and Financial Terms appended to the CEP shall form an integral part of this programme.

Article 26

The present Programme does not rule out the possibility of organising other activities and exchanges in the fields of culture, education, sports and youth affairs which may not have been contemplated in the same.

Article 27

Either of the Parties may revoke this agreement, either totally or partially, through communication in writing to the other Party. The revocation shall come into force six months after its communication.

Article 28

This Programme shall be valid till 31st December 2004. After this period, it shall temporarily remain in force till a new Programme is signed.

Signed in New Delhi, this 16th day of Vaisakha, 1924 (SAKA) corresponding to 6th day of May 2002 (AD) in three copies, in Hindi, Spanish and English, all texts being equally authentic. Nevertheless, in case of doubt the text in English shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDIA

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF COLOMBIA



(**VIVEK RAE**)
Joint Secretary
Department of Culture
Ministry of Tourism & Culture



(**DR. EDUARDO SERRANO**)
Director General of Cultural Affairs
Ministry of Foreign Affairs

General and Financial terms regulating the exchange under the Programme of Cultural and Educational Exchanges between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Colombia for the years 2002-2004.

I. EXCHANGE OF PERSONS:

i) General Terms:

1. The sending Party shall communicate to the receiving Party two months in advance through diplomatic channels:
 - a) names, curriculum vitae and Command of foreign languages of the persons;
 - b) programme of the proposed visit;
 - c) date and duration of the proposed visit.
2. The receiving Party shall confirm the final approval of the visit 6 weeks before the envisaged date of arrival.
3. The sending Party shall inform the receiving Party about the exact date of arrival and the means of transport at least 15 days before the person's arrival.
4. In addition the persons exchanged under this programme should know the language of the receiving Party or English.

ii) Financial Terms:

1. The sending Party will bear the costs of travel of its persons to the capital of the receiving country and of return travel.
2. The receiving Party will bear the cost of board, lodging and internal transport within its territory as arising from the agreed programme of the visit.
3. In case of sudden illness or accident, the receiving Party will secure medical care free of charge in national health service system to all persons arriving under this Programme.

II. SCHOLARSHIPS:

i) General Terms:

1. Each Party will inform the other annually and in time the offer of scholarships, which will include the general characteristics, the requirements demanded, the values contemplated and the last dates for application, selection of candidates and the date of the start of the programme.

2. The registration form or folder of documents of the candidates must include:

- Bio-data
- Dully filled in application form in five copies of the diplomas or degrees (certifications)
- Programme of studies or of research
- Medical certification (or of health)
- The scholarship holders must have a working knowledge of English for study in India and Spanish / English for Study in Colombia.

ii) Financial Terms:

1. The scholarship holders will meet themselves the round trip into the capital cities of the two countries.

2. The Colombian party offer the following:

- Expenditure on installation up to Colombian Pesos 197,000 (only once)
- Registration and academic fees, (total coverage of these costs).
- Books and studying material, up to Pesos 197,000 (only once)
- Lodging and boarding, a monthly sum of Pesos 160,000
- Expenses on thesis, up to Pesos 197,000 only once, for the programmes which may require it.
- Medical insurance (medical and hospital assistance), monthly payment of Pesos 60,000
- Expenditures for justified unexpected expected events, up to Pesos 98,000 (only once)
- Taxes for leaving the country, up to Pesos 78,000 (only once)

3. The Indian Party offers the following:

Fee : Tuition, Registration / Enrolement fee in full.

Accommodation :- Accommodation in the student hostel of the University / Institution. In case such accommodation is not available, the scholar would be given the House Rent Allowance at the following rates :-

- For Delhi, Kolkatta (Calcutta), Mumbai (Bombay), Chennai (Madras) and Bangalore Rs.2,000/- pm

- For other towns Rs.1,500/-pm

Stipend:- Would be given at the following rates :-

- For Under-graduate / Post-graduate Rs.3,000/-pm
- For M.Phil / Ph.D. / M. Tech. / ME Rs.4,000/-pm
- For Post-doctoral Research Rs.4,500/-pm

Incidental contingent grant:

- For Under-graduate Rs.3,000/-per annum
- For Post-graduate Rs.4,500/-pa
- For M.Phil / Ph.D. in Humanities Rs.7,500/-pa
- For M. Phil / Ph.D. in Science & Technology Rs.10,000/-pa
- For Post-doctoral Research in humanities Rs.10,000/-pa
- For Post-doctoral Research in Science / Technology Rs.12,000/-pa
- For short term stay (less than 6 month), the grant would be reduced to 50%

Medical assistance:

The expenditure incurred by the scholar for treatment in the medical centers / dispensaries attached with her / his institution would be reimbursed.

Domestic travel:

The scholar would be reimbursed any expenditure incurred on his / her travel within the territory of India strictly in connection with his / her stay.

III. EXCHANGE OF EXHIBITIONS:

i) General Terms:

The sending State will inform the receiving State, minimum 12 months in advance, about dates and subject of the exhibition to be prepared. In order to make the corresponding arrangements for the exhibition, the sending State will provide the basis technical information about the exhibition, as well as necessary material for the printing of catalogues (introduction, list of works, photographs, text, and other details) with at least three (3) months in advance to the opening. The objects to be displayed will reach the destination place minimum 15 days in advance to the opening.

ii) Financial Terms:

Unless otherwise agreed to between the institutions concerned, the costs of the exchange of exhibitions will be borne as follows:

1. The sending Party will bear the costs of transport of the exhibition to be first place of exhibition in the receiving country and on the way back. The first and the last place of the exhibition in case of India should be one of the three: New Delhi, Mumbai (Bombay) and Kolkata (Calcutta).
2. The receiving Party will bear the cost of organisation of exhibition, its security and publicity / advertising, printing the catalogue, posters etc.
3. The sending Party will bear all the insurance expenses of the exhibition, while it is outside its national territory.

In case of losses or damage of the exhibits, the receiving Party will supply the sending Party with complete documentation referring to the case in order to secure the claims from the insurance company.

The damaged exhibits cannot be repaired without prior approval of the sending Party.

4. The sending Party will bear the packing expenses for the return trip of the exhibition.
5. A separate agreement for each exhibition will be signed between the sending and the hosting institutions, which will cover these provisions.
6. The exhibition can be accompanied by one expert / curator. The costs of travel and stay of the expert / curator will be covered in accordance with the General and Financial Terms as here to agreed by the two Parties.

IV. EXCHANGE OF MAGAZINE AND PUBLICATIONS

All costs of the exchange of publications, magazines and other materials as envisaged in this Programme shall be borne by the sending institutions.
